District in 1986 there were four violent incidents by the National Socialist Council of Nagaland. In Tripura, Nagaland, Manipur and Assam TNV, National Socialist Council of Nagaland and the United Liberation Front of Assam have been active.

(b) and (c) The insurgency situation is reviewed from time to time with State authorities and plans of better arrangements for coordination between different agencies involved in the operations against extremists are discussed/drawn up. Para-military forces are provided to the State Governments and intelligence reports are shared with them to combat the insurgent activities. The provisions of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 and the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 are utilised in consultation with the State Governments concerned to check the activities of extremists.

स्वतंत्रता सैनानी को पेंशन की मंजूरी

694. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :**
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 अप्रैल 1985 को प्रकाशित स्वतंत्रता सैनानी राजपत्र में पृष्ठ 234 पर श्री पन्ना लाल जोहरी का नाम स्वतंत्रता सैनानी के रूप में प्रकाशित हुआ था किन्तु मंत्रालय ने इस स्वतंत्रता सैनानी को अब तक कोई पेंशन नहीं दी है, हालांकि भूतपूर्व प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इन्हें ताम्र पत्र प्रदान कर सम्मानित किया था ; और

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर हां हो तो, इस स्वतंत्रता सैनानी को अब तक पेंशन न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) जी हां, श्रीमन् दिल्ली प्रशासन की "राजपत्र यूनिट" द्वारा प्रकाशित दिल्ली के स्वतंत्रता सैनानी कौन क्या है, खण्ड (II) के दूसरे खण्ड के पृष्ठ 234 पर उनका नाम है। 1972 में पेंशन योजना लागू होने से पहले दिल्ली प्रशासन ने राजनैतिक पीडितों का एक रजिस्टर रखा था जिनमें से कुछों को राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन की सिफारिश पर "ताम्र पत्र" प्रदान किये गये थे ।

(ख) केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना 1972 और स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के उपबन्धों के अनुसार जो व्यक्ति स्वयं को पात्र समझते थे, को आवेदन करना और अपनी यातनाओं के दावों के समर्थन में सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक था । राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन मामले में अपने अभिकरणों द्वारा आवश्यक जांच/सत्यापन करते है और गृह मंत्रालय को विचार करने के लिये अपनी रिपोर्ट/सिफारिश भेजते हैं । श्री जौहरी ने 1972 में पेंशन के लिये आवेदन किया । दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी राहत समिति ने 11-1-1977 को सर्वसम्मति से निर्णय किया कि श्री जोहरी पेंशन के लिये अर्हता प्राप्त नहीं है । समिति ने 24-10-1981 और पुन: 28-4-1982 को उनके मामले की जांच की लेकिन अपने पहले के निर्णय को कायम रखा ।

Voluntary retirement from service by former foreign secretary

695. SHRI YALLA SESI BHUSHANA RAO:
PROF. C. LAKSHMANNA:
SHRI N. E. BALARAM:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the circumstance leading to the sudden resignation from service of the former Foreign Secretary in January, 1987; and

(b) whether this incident has led to demoralisation among the senior officials of the Government?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): (a) and (b) Consequent upon Government's decision to appoint a new Foreign Secretary, Shri A. P. Venkateswaran's request for voluntary retirement from Service was acceded to. There is no general demoralisation among Government Officials.

भारतीय उच्चायोगों/दूतावासों में हिन्दी में कार्य

696. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों, उच्चायोगों और वाणिज्य दूतावासों में से कितनों में 75 प्रतिशत, 50 प्रतिशत या 25 प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है ; और कितने देशों में भाषान्तरों, आशुलिपिकों, टंककों और टाइपराइटरों की पर्याप्त व्यवस्था है तथा कितने देशों में ये सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं ; और

(ख) वहां पर पुस्तकालयों और हिन्दी के मौलिक संदर्भ ग्रन्थों की उपलब्धता की क्या स्थिति है जिससे कि विदेशी तथा भारतीय हिन्दी सीख सकें ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) हमारे मिशन अपने सरकारी कामकाज में नियमित रूप से हिन्दी का प्रयोग नहीं करते हैं। ये मिशन मुख्यालय के साथ कभी-कभी पत्राचार करते समय हिन्दी का प्रयोग करते है, विशेष रूप से हिन्दी का प्रचार किये जाने से सम्बद्ध विषयों में। इसके अलावा कुछ मिशनों में प्रचार संबंधी कुछ कार्य भी हिन्दी में किया जा रहा है। हमने हिन्दी के टाइपराइटर तकरीबन सभी मिशनों को मुहैया कर दिये है । विदेशों में स्थित हमारे कुछ मिशनों में हिन्दी आशुलिपिकों और हिन्दी टंककों की भी नियुक्ति की गई है ।

(ख) विदेश स्थित हमारे मिशनों के पुस्तकालयों में हिन्दी खण्ड भी है। हम अपने विदेश स्थित मिशनों को नियमित रूप से भारतीय संस्कृति, साहित्य, धर्म, इतिहास जैसे विषयों पर हिन्दी की पुस्तकें भेजते रहते है ताकि हिन्दी पुस्तकों का एक मानक संग्रह तैयार हो सके और उन्हें हिन्दी के प्रचार में लगे स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों/व्यक्तियों को दान भेंट स्वरूप भी दिया जा सके ।

Amendment of Illegal Migrants (Determination by Tribunal) Act, 1983

697. SHRI CHITTA BASU:
SHRI RAMKRISHNA MAZUMDER:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a set of proposals have been made by the Government of Assam for the amendment of Illegal Migrants (Determination by Tribunal) Act, 1983;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what is the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI): (a) Yes, Sir.

(b) The important proposals are—

(i) that, each Tribunal should have only one member as against three members at present;

(ii) that, in case of private complaints the provisions (a) requiring the applicant to be residing within 3 KMs from the place of residence of the person in relation to whom the application for being declared an illegal migrant is made, and (b) requiring payment of fee of Rs. 25/- with every complaint, should be deleted;

(iii) that, in case where a question arises whether a person is an illegal migrant or not, the burden of proof should lie on such person; and